



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 995]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2017/अग्रहायण 22, 1939

No. 995]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 2017/AGRAHAYANA 22, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1508(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, हैड कांस्टेबल (नक्शानवीस) समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2011 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, हैड कांस्टेबल (नक्शानवीस), समूह "ग" पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, हैड कांस्टेबल (नक्शानवीस), समूह "ग" पद, भर्ती नियम, 2011, (इसके पश्चात् इसे मूल नियम कहा गया है), के नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्,—
"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।"
- मूल नियमों की अनुसूची में,—
(क) स्तंभ (4) में स्तंभ भीर्श के लिए और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर — 4 (रु० 25500 — 81100)";

(ख) स्तंभ (11) में "प्रतिनियुक्ति" उप शीर्ष के अधीन,—

- (i) "वेतन बैंड-1 (रु० 5200-20200) तथा ग्रेड वेतन रु० 2400" शब्दों, अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर " वेतन तालिका में स्तर-4 (रु० 25500-81100/-)" शब्द, अंक एवं अक्षर रखे जाएंगे;
- (ii) "वेतन बैंड-1 (रु० 5200-20200) तथा ग्रेड वेतन रु० 2000" शब्दों, अंकों एवं अक्षरों के स्थान पर "वेतन तालिका में स्तर-3 (रु० 21700-69100/-)" शब्द, अंक एवं अक्षर रखे जाएंगे;
- (iii) टिप्पण-1 का लोप किया जायेगा;
- (iv) टिप्पण-2 तथा टिप्पण-3 को क्रमशः टिप्पण-1 तथा टिप्पण-2 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[फा. सं.-17/130/2016-कार्मिक/सीसुबल]

विनोद कुमार अवर सचिव (कार्मिक-III)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि.-175(अ) तारीख दिनांक 11 जून, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2017

G.S.R.1508 (E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Headquarters, Head Constable (Draftsman), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2011, namely :-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Headquarters, Head Constable (Draftsman), Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Border Security Force, Headquarters (Draftsman), Group 'C' posts, Recruitment Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.- The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the Schedule,-

(A) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

"Level in the pay matrix
(4)
Level-4 (Rs.25500-81100)"

(B) in column (11), under the sub-heading 'Deputation' :-

(i) for the words, figures and letters "Pay Band - 1, Rs.5200-20200 + Grade pay of Rs.2400" the words, figures and letters "Level-4 in the pay matrix Rs.25500-81100" shall be substituted;

(ii) for the words, figures and letters " Pay Band-1. Rs. 5200-20200+ Grade Pay of Rs. 2000" the words, figures and letters "Level 3 in the pay matrix Rs. 21700-69100" shall be substituted;

- (iii) Note 1 shall be omitted;
- (iv) Note 2 and Note 3 shall be renumbered as Note 1 and Note 2 respectively.

[F. No.17/130/2016/Pers/BSF]

VINOD KUMAR, Under Secy. (Pers-III)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* notification number G.S.R. 175 dated the 11th June 2011.

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2017.12.14 19:28:35
+05'30'